हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय

Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University)

श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)–246174

Srinagar Garhwal Uttarakhand

Prof. Deepak Kumar **Mob- 8650050639**

Chief Hostel Warden **Email: chiefwarden300@gmail.com**

पत्रांकः हे0न0ब0ग0वि0वि0 / मु0छा0अ0का0 / 2024 / 17 दिनांक–03 / 07 / 2024

कार्यालय आदेश

निविदा सूचना

हेमवती नन्दन बहुगुणा ग0वि0वि0 श्रीनगर गढ़वाल के बिड़ला एवं चौरास परिसर हेतु वर्ष 2024–25 के लिए पुरूष एवं महिला छात्रावास में भोजन आपूर्ति हेतु निविदायें आमन्त्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत जानकारी वि0वि0 की वेवसाईट www.hnbgu.ac.in के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती हैं।

इच्छुक निविदादाता, निविदा फार्म वि0वि0 के वेवसाईट www.hnbgu.ac.in से दिनांक 04 / 07 / 2024 से दिनांक 12 / 07 / 2024 तक डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है।

निविदादाताओं द्वारा मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय में निविदा फार्म शील्ड लिफाफे में जमा करने की अन्तिम तिथि 15 / 07 / 2024 के सायं 5.00 बजे तक है। निविदाओं को माननीय कुलपति द्वारा गठित समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख दिनांक 19 / 07 / 2024 को पूर्ववाहन 11.00 वजे खोला जायेगा।

प्रो0 दीपक कुमार

मुख्य छात्रावास अधीक्षक

<u>कार्यालय मुख्य छात्रावास अधीक्षकः– श्रीनगर गढ़वाल</u>

विज्ञप्ति संख्या / 01 / निविदा 2024–25 दिनांकः– 03 / 07 / 2024

भोजन निविदा–प्रपत्र
वित्तीय वर्ष–2024–25

निविदा प्रपत्र के चार भाग है।

(क) भोजन व्यवस्था के निविदादाताओं के लिए निर्देश एवं शर्तें
(ख) साप्ताहिक मैनू
(ग) तकनीकी बिड
(घ) प्राईज बिड

प्रपत्र(क) भोजन व्यवस्था के निविदादाताओं कें लिए निर्देश एवं शर्ते :–

1. हे0न0ब0ग0वि0वि0 श्रीनगर व चौरास परिसर में स्थित छात्रावासों हेतु मुख्य छात्रावास अधीक्षक की ओर से छात्र / छात्राओं की भोजन व्यवस्था हेतु मैस संचालकों निविदादाताओं / ठेकेदारों से शील्ड निविदायें आमन्त्रित की जाती है। **निविदादाता को निविदा फार्म प्रपत्र (क), साप्ताहिक मैन्यू प्रपत्र (ख) तथा तकनीकी बिड प्रपत्र (ग) के प्रत्येक पेज / पृष्ट पर सहमति हस्ताक्षर कर उक्त से सम्बन्धित याचित प्रमाण पत्रों की फोटोप्रतियों को ए–4 साईज लिफाके के अन्दर रखकर शील्ड लिफाफा जमा करना होगा । तथा प्राईज विड का प्रपत्र (घ) का छोटा लिफाफा भी शील्ड कर जमा करना होगा ।**

2. निविदा प्रपत्र वि0वि0 की वेवसाईट www.hnbgu.ac.in से डाउनलोड कर दिनांक 15 / 07 / 2024 सायं 5 बजे तक शील्ड लिफाफे में मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय को प्राप्त हो जानी चाहिए ।

3. **निविदाकर्ता को दोनो मैस (पुरूष तथा महिला) हेतु आवेदन कर सकता है परन्तु निविदाकर्ता को उनमें से एक ही मैस आवॅटित की जायेगी।**

4. निविदायें माननीय कुलपति / कुलसचिव द्वारा गठित मैस समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख **दिनांक 19 / 07 / 2024 को पूर्ववाहन 11.00 वजे खोली जायेंगी।**

5. संलग्न निर्धारित मैनू के अनुसार पुरूष / महिला छात्रावास के भोजन की व्यवस्था प्रतिदिन करनी होगी जिसमें सुबह की चाय नाश्ता,दोपहर का भोजन,सायं की चाय के साथ स्नैक्स एवं रात्रि का भोजन शामिल होगा।

6. **ठेकेदार / आपूर्तिकर्ता को भोजनालय में नियमित उपस्थित रहना आवश्यक होगा, ताकि व्यवस्थागत अनुश्रवण के साथ–2 परिसर प्रशासन के सम्पर्क में रह कर किसी भी शिकायत का त्वरित निदान करवाया जा सके। भोजन की गुणवत्ता में गिरावट आने और 50% से अधिक छात्र / छात्राओं ने शिकायत की तो मैस वापस ले ली जायेगी।**

7. **जिस ठेकेदार / आपूर्तिकर्ता को मैस आंवटित होगी वह एक वर्ष तक संचालित कर सकेगा। लेकिन उन्हें खाने की गुणवत्ता बनाए रखनी होगी, गुणवत्ता में गिरावट आने पर ठेकेदार से मैस वापस ले ली जाएगी।**

8. **प्रत्येक ठेकेदार / आपूर्तिकर्ता को मैस व किचन की प्रतिदिन साफ सफाई के अतिरिक्त हर वर्ष वाइट वाष / सफेदी करवाना होगा।**

9. निविदादाता द्वारा निविदा फार्म के साथ निविदा **प्रतिभूति** (धरोहर) राशि के रूप में रू0 5000.00 का डिमाण्ड ड्राप्ट / बैंकर्स चैक जो मुख्य छात्रावास अधीक्षक श्रीनगर के पक्ष में सलंग्न करना होगा । न्यूनतम प्रथम या आवॅटित निविदाओं के अतिरिक्त अन्य निविदादाताओं की धरोहर धनराशि का डिमाण्ड ड्राप्ट/एफ0डी0आर0 अथवा बैंकर्स चैक धनराशि वापस कर दी जायेगी।

10. निविदा स्वीकृत होने की दशा में सम्बन्धित निविदादाता को निविदा खुलने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर कार्यपूर्ति राशि **एफ0डी0आर/टी0डी0आर** मुख्य छात्रावास अधीक्षक हे0न0ब0ग0वि0वि0 के नाम बन्धक बनाकर निम्नवत् जमा करना होगा,

1. नन्दा देवी शोध महिला छात्रावास – रू0 1.00000 (एक लाख रूपये)
2. गंगा हॉयर स्टडीज महिला छात्रावास– रू0 1.00000 (एक लाख रूपये)
3. आर्य भटट शोध पुरूष छात्रावास – रू0 1.00000 (एक लाख रूपये)
4. सरस्वती महिला छात्रावास – रू0 1.00000 (एक लाख रूपये)
5. मंदाकिनी महिला छात्रावास – रू0 1.25000 (एक लाख पच्चीस हजार रूपये)
6. स्वामी विवेकानन्द पुरूष छात्रावास– रू0 1.25000 (एक लाख पच्चीस हजार रूपये)
7. चौखम्बा पुरूष छात्रावास – रू0 1.25000 (एक लाख पच्चीस हजार रूपये)
8. श्रीदेव सुमन पुरूष छात्रावास– रू0 1.50000 (एक लाख पचास हजार रूपये)
9. भागीरथी महिला छात्रावास रू0– 1.50000 (एक लाख पचास हजार रूपये)
10. त्रिशूल एवं बी0जे0जे0आर0 पुरूष छात्रावास –रू0 1.50000 (एक लाख पचास हजार रूपये)
11. अलकनन्दा महिला छात्रावास –रू0 1.75000 (एक लाख पच्चतर हजार रूपये)
12. यमुना महिला छात्रावास –रू0 1.75000 (एक लाख पच्चतर हजार रूपये)

उपरोक्त कार्यपूर्ति राशि के साथ ही रू0 100.00 के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र निष्पादन करना होगा । सत्र आरम्भ अथवा छात्रावास में प्रवेशार्थियों के प्रवेश होने पर कार्यालादेश/आफर लेटर जारी किया जायेगा। **मैस आरम्भ करने के आदेश निर्गत होते ही मैस संचालित करना अनिवार्य है।**

11. एफ0डी0आर0 बन्धक राशि जमा होने पर, निविदादाता को प्रतिभूति राशि रू0 5000.00 डिमाण्ड ड्राप्ट /बैंकर्स चैक निविदा दाता को वापस किया जायेगा ।

12. ठेकेदार को खाना बनाने के लिए बर्तन ईंधन/गैस भटटी, गैस सिलेन्डर अथवा मैस में काम आने वाले बर्तन **(जैसे डोंगा,चम्मच,हाटकेश आदि प्रत्येक टेबल के हिसाब से)** एवं भोजन बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामाग्री जैसे खाद्य/भोजन सामाग्री मैन्यू के अनुसार प्रयुक्त की जाने वाली सब्जी,दाल,चावल,आटा आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

13. ठेकेदार को अच्छे/उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य सामाग्रियों का उपयोग करना होगा, जिसका निरीक्षण परिसर स्तर पर गठित समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिदिन/समय–2 पर भोजन बनाने से पूर्व किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान यदि कोई सामाग्री अच्छे/उच्च गुणवत्ता के अनुरूप नही पायी गयी तो ठेकेदार को सामाग्री बदलनी होगी।

14. ठेकेदार को परिसर समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा पर ही प्रातः चाय नाश्ता, दोपहर का भोजन,सायं की चाय के साथ स्नैक्स एवं रात्रि के भोजन की आपूर्ति करनी होगी। परिसर प्रशासन द्वारा किसी समय और परिस्थिति के अनुरूप आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है, इसकी पूर्व सूचना सम्बन्धित व्यवस्थापक को दी जायेगी।

15. ठेकेदार को भोजन तैयार करने से सम्बन्धित व्यवस्थाओं के लिए स्वयं कर्मचारी रखने होगें। इस हेतु परिसर द्वारा अलग से कोई सहायता देय नही होगी। कर्मचारी छात्रावास संचालन हेतु समय समय पर बनायें जाने वाले नियमों/दिशा निर्देशों का पालन करेगें। कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली किसी भी क्षति एवं एवं अनुशासनहीनता हेतु सम्बन्धित ठेकेदार जिम्मेदार होगा। अनुशासनहीनता की स्थिति में उक्त कर्मचारी का बिना कारण बतायें तुरन्त परिसर से बाहर कर दिया जायेगा ।

16. मुख्य छात्रावास अधीक्षक द्वारा ठेकेदार को भोजन तैयार करने हेतु भोजनालय, डायनिंग हाल एवं स्टोर कक्ष उपलब्ध कराये जायेगे, जिसकी स्वच्छता एवं रख–रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी। डायनिंग हाल में टूट–फूट एवं मरम्मत पर आने वाले व्यय का वहन ठेकेदार को ही करना होगा। तथा उसका विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किराया भी मैस संचालक को प्रतिमाह देना होगा।

17. बिजली एवं पानी की व्यवस्था परिसर प्रशासन की होगी, ठेकेदार को मैस में हीटर का प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध होगा। **मैस ठेकेदार को मैसं संचालन से पूर्व अग्रिम छः माह का किराया मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय में जमा करना होगा, तत्पश्चात ही मैस संचालक को मैस संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।** तथा विधुत बिल का भुगतान प्रति माह की 10 तारिख तक स्ंवय मुख्य छात्रावास अधीक्षक छात्रावास कार्यालय मे जमा करना होगा ।

18. अस्वस्थ छात्र/छात्राओं को खिचड़ी/दलिया इत्यादि जैसे भोजन की व्यवस्था करनी होगी तथा जिन छात्रा–छात्राओं का उपवास होता है उनके लिए फलों की व्यवस्था भी करनी होगी।

19. भोजन तैयार करने हेतु परिवेश की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देगा होगा। **डायनिंग हाल की रोज पानी से धुलाई, शौचालय की सफाई करवानी होगी। बचा हुआ भोजन,जूठन,कूड़ा आदि नालियों में बहाकर गन्दगी नही फैलायी जायेगी।** बचे **भोजन को एकत्र कर परिसर से बाहर ले जाकर निस्तारण की व्यवस्था करनी होगी ।** नालियों की सफाई प्रतिदिन करानी होगी, इसके लिए सफाई कर्मियों को भुगतान ठेकेदार को करना होगा ।

20. सम्बन्धित ठेकेदार को अपना कान्ट्रेक्ट किसी दूसरे को हस्तान्तरित करने का अधिकार नही होगा, अन्यथा की स्थिति में कान्ट्रेक्ट तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा,साथ ही जमानत राशि भी जब्त की दी जायेगी।

21. ठेकेदार को प्रत्येक माह छात्र/छात्राओं से भोजन धनराशि को अपने स्तर से लेना होगा ।

22. निविदादाता के लिए मुख्य छात्रावास अधीक्षक मैस समिति द्वारा अधिकतम निविदा क्रमशः महिला छात्रावासों हेतु 95/– रू0 एंव पुरूष छात्रावासों हेतु 110/– रू0 प्रतिदिन / प्रति छात्र निर्धारित की गयी हैं। **दरें पूर्ण रूपये में दी जाय, पैसे में अंकित की गयी दरें स्वीकार नही की जायेगी।**

23. संलग्न मैन्यू के अतिरिक्त यदि कोई निविदादाता अन्य सुविधा भी देनाा चाहता है तो उसका निविदा में स्पष्ट उल्लेख करें।

24. निविदा स्वीकार होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को अनुबन्ध करना पड़ेगा और निविदा प्रपत्र में उल्लिखित शर्तो व निर्देशों का पूर्ण पालन करना होगा।

25. ठेकेदार को शासकीय नियम अनुसार आयकर एवं विक्रय कर स्वंय अपने स्तर से जमा करना होगा ।

26. निविदा स्वीकार करने की स्थिति में निविदादाता को यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि छात्रावासो में निविदादाता तथा उसके कर्मचारियों का पूर्ण विवरण फोटो सहित सम्बन्धित कर्मचारियों के पतों के सत्यापन के साथ मुख्य छात्रावास अधीक्षक को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना होगा तथा किसी भी प्रकार का नषा या धूम्रपान,मदिरा इत्यादि का सेवन नही किया जायेगा, अन्यथा निविदा को निरस्त करने का अधिकार मुख्य छात्रावास अधीक्षक/समिति का होगा।

27. भोजनालय में कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र जिला चिकित्सालय से बनवाकर एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना होगा। कर्मचारी बदलने पर भी यही प्रक्रिया अपनानी होगी। **कर्मचारी बदलने पर लिखित सूचना मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय को तत्काल देनी होगी।**

28. किसी पाली विशेष में मैनू के अनुसार भोजन/नाश्ता उपलब्ध न कराने अथवा गुणवत्ता युक्त न होने की स्थिति में वार्डन की रिपोर्ट के आधार पर भुगतान से कटौती की जायेगी और ऐसी **गम्भीर शिकायत तथा**

अव्यवस्था के प्रति तीन बार नोटिस दिये जाने के उपरान्त कान्ट्रेक्ट निरस्त किया जायेगा एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर दी जायेगी।

29. किचन में अग्नि सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। भोजन बनाते समय पूर्ण सावधानी से कार्य किया जाना अपेक्षित है।
30. मैस की नालियॉ चोक होने पर तथा गडडे भरने पर ,नालियों/गडडे की सफाई आदि कार्य स्वयं ठेकेदार को अपने खर्चे पर करना होगा
31. मैस में ठेकेदार को अपना गीजर लगाना होगा ।

32. मुख्य छात्रावास अधीक्षक एक माह का नोटिस तथा मैस संचालक तीन माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त कर सकते है।
33. टेण्डर प्रक्रिया के दौरान एवं टेण्डर खुलने के बाद भी मुख्य छात्रावास अधीक्षक/अनुमोदित समिति को टेण्डर निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
34. निविदादाता यह सुनिश्चित करेंगें कि मैस में कार्य करने वाले श्रमिक श्रम कानून के अन्तर्गत कार्य कर रहे है, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मैस संचालक का होगा।
35. जिन निविदादाताओं ने पूर्व में छात्रावासों में मैस संचालन का कार्य किया है उनको मुख्य छात्रावास अधीक्षक से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
36. मैस संचालक व उनके कर्मचारियों का रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक समस्त (पुरूष एंव महिला) छात्रावासों में रहना प्रतिबन्धित होगा।
37. निविदा फार्म के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति संलग्न करें तथा निविदा खुलने के दिन मूल प्रमाण पत्र समिति के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा अपूर्ण निविदाओ पर विचार नही किया जायेगा ।

(a) सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त फूड वैध लाईसेन्स की छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य है।

(b) निविदादाता को व्यापार कर कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है अतः वैध **(जी0एस0टी पंजीकरण)** प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य है।

(c) जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र, जो 6 माह की अवधि के अन्तर्गत का हो।

(d) निविदादाता द्वारा आवासीय विद्यालय/सरकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण सरस्थान /शैक्षणिक संस्था में गत दो वर्षो में मैस संचालन का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी का कार्यालय दूरभाष नम्बर भी प्रमाण पत्र में अंकित करें।

(e) स्थायी आयकर संख्या (PAN CARD) की छायाप्रति ।

(f) कर निर्धारण विगत दो वर्षो 2021–22 एव 2022–23 का आयकर रिर्टन की प्रति संलग्न करनी होगी।

(g) निविदा फार्म के साथ **प्रतिभूति** (धरोहर) राशि के रूप में रू0 5000.00 का बैंक ड्राप्ट मुख्य छात्रावास अधीक्षक हे0न0ब0ग0वि0वि0 श्रीनगर के नाम बनाकर संलग्न करना अनिवार्य है।

(h) निविदादाता के पास मैस संचॉलन कार्यो में पिछले 02 वर्षो में न्यूनतम ट्रनओवर दस लाख प्रतिवर्ष होना आवश्यक है इस हेतु सी0ए0 द्वारा प्रमाणित वैलेंस सीट एवं ट्रनओवर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(i) निविदादाता की फर्म किसी भी सरकारी /आवासीय विद्यालय /शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान ,इत्यादि द्वारा ब्लैक लिस्टेड नही होनी चाहिए इस आशय का नोटरी द्वारा शपथ पत्र निविदादाता द्वारा 100 के स्टाम्प पेपर पर देना होगा

(j) यदि निविदादाता द्वारा आपूर्ति की खादय सामग्री के सेवन से किसी छात्र/छात्रा को नुकसान होता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी । इस आशय का शपथ पत्र 100 रू0 के स्टाम्प पेपर देना होगा ।

(k) निविदादाता द्वारा निविदा पत्र के साथ जो प्रप्त्र संलग्न किये गये है यदि वे प्रमाण पत्र गलत पाये गये तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी **(निविदादाता की)** इस आशय का शपथ पत्र 100 रू0 के स्टाम्प पेपर देना होगा । यदि निविदादाता के उक्त प्रमाण पत्र गलत पाये गये तो भविष्य में ऐसे निविदादाताओं को निविदा प्रक्रिया से वंचित कर दिया जायेगा ।

नोटः– **निविदादाता को कम संख्य ,i, j, k तक के शपथ पत्रों को एक ही स्टाम्प पेपर पर दिया जा सकता है।**

प्रपत्र (क) 2024–2025

कार्यालय मुख्य छात्रावास अधीक्षकः– श्रीनगर गढ़वाल

छात्रावास भोजन मैन्यू

दिन/वार	नाश्ता	दोपहर भोजन	सायं 4 वजे	रात्रि भोजन
रविवार	उबले आलू, टमाटर की सब्जी तथा रोटी एवं पूरी चाय	राजमा,चावल, रोटी,सब्जी खीर,सलाद	सायं की चाय के साथ सिनैक्स अधिकतम रू0 5.00 के मुल्य का	मल्का दाल, आलू न्यट्री की सब्जी, रोटी,चावल,सलाद
सोमवार	आलू गोभी परांठा, अचार, दही चाय	दाल मखनी,चावल,रोटी, सब्जी, खीरा,सलाद	प्रतिदिन	दाल उड़द चना, आलू गोभी या आलू शिमला मिर्च की सब्जी,रोटी,चावल,सलाद
मंगलवार	छोले (कावली चना) सादा परांठा चाय	कड़ी, चावल,रोटी, सब्जी, सलाद	प्रतिदिन	उड़द छिलका दाल, भिण्डी की सब्जी, चावल,रोटी,सलाद
बुद्ववार	छोले भटूरे चाय	काला चना ,पत्ता गोभी की सब्जी, रोटी,चावल,सलाद	प्रतिदिन	शाही पनीर अथवा कड़ाई पनीर ,आलू बीन की सब्जी,रोटी,चावल,सलाद
बृहष्पतिवार	आलू गोभी मूली के परांठा अचार दही चाय	उडद राजमा मिक्स दाल,चावल आलू गोभी की सब्जी रोटी,सलाद	प्रतिदिन	मसूर की दाल,आलू न्यूट्री की सब्जी,रोटी,चावल,सलाद
शुक्रवार	उवले आलू, टमाटर एवं पनीर की सब्जी,रोटी एवं पुरी चाय	मिक्स दाल आलू बैंगन की सब्जी,रोटी चावल सलाद	प्रतिदिन	काला चना,पत्ता गोभी की सब्जी,रोटी चावल,सलाद
शनिवार	आलू मटर की (गाडी ग्रेवी) की सब्जी सादा परांठा चाय	अरहर दाल,आलू पालक की सब्जी,रोटी,चावल, सलाद	प्रतिदिन	दाल उड़द चना, वैंगन भर्ता,चावल रोटी,सलाद

नोटः– 1– प्रत्येक बुद्ववार को रा़त्री भोजन में **(शाही पनीर अथवा कड़ाई पनीर)**

2–मैन्यू में सब्जियां मौसम के अनुसार परिवर्तित की जा सकती है,किन्तु यह परिवर्तन तभी मान्य होगा जब मैन्यू में दी गयी सब्जी बाजार में उपलब्ध न हो।

3–प्रत्येक दिन सलाद में मूली,प्याज,गाजर या खीरा या अन्य सामाग्री जो बाजार में उपलब्ध हो अनिवार्य रूप से देनी होगी।

4–.छात्र/छात्रा की वीमारी की दशा में खिचड़ी या दलिया उपलब्ध करना होगा।

5– सुबह नाश्ते के साथ चाय तथा सायं 4 वजे प्रतिदिन अच्छी किस्म की चाय देनी होगी

6– सब्जी प्रति दिन बदल बदल कर बनानी होगी

<u>प्रपत्र– (ख) 2024–2025</u>

<u>कार्यालय मुख्य छात्रावास अधीक्षकः– हे0न0ब0ग0वि0वि0 श्रीनगर गढ़वाल</u>

तकनीकि बिड

1. निविदादाता का नाम..
2. पता...
   फोन न0 कार्यालय...मोबाइल न0.....................................
3. फर्म का नाम व पता...
   ....
4. व्यापार कर प्रमाण पत्र (**G.S.T Number**)...
   (नियम शर्तो के अनुसार कर भुगतान प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)

5- स्थाई आयकर खाता संख्या(**PA N N0**)------------
   नियम शर्तों के अनुसार विगत दो वर्षों (2018–19 व 2019–20 का आयकर रिर्टन का प्रमाण पत्र तथा **Pan Card** की छाया प्रति संलग्न करें

6- धरोहर राषि का विवरण
   (क) बैंक ड्राप्ट/एफ0डी0आर0 न0/बैकर्स चैक......................................(ख) दिनांक...........
   (ग) धनराषि..............

7. कार्य अनुभवः– (नियम शर्तो के अनुसार)..

संलग्न का विवरण	**1.**	**2**
	3.	**4**
	5..	**6.**
	7.	**8.**

दिनांकः

हस्ताक्षर

निविदादाता का नामः

पूरा पताः

प्रपत्र– (ग)

कार्यालय मुख्य छात्रावास अधीक्षकः– हे0न0ब0ग0वि0वि0 श्रीनगर गढ़वाल वित्तीय बिड 2022–2023
बिल आफ क्वांटिटी

महोदय,

मैं निविदादाता परिसर छात्रावास मैस समिति द्वारा निर्धारित मीनू के आधार पर भोजन की आपूर्ति हेतु सहमत हूँ।

अतः प्रातः कालीन नाश्ते से सुवह की चाय लेकर रात्रि तक की भोजन व्यवस्था हेतु प्रतिदिन की दर निम्नवत प्रस्तुत करता हूँ। इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश एवं शर्तों का भली भॉति अध्ययन कर लिया गया है।

इकाई	दर प्रति छात्र प्रतिदिन (दर पूर्ण रूपये में दी जाय)
दर प्रति छात्र, प्रति दिन, **(प्रपत्र) (क) में निर्धारित मैनू अनुसार)**	रूपये (अंकों में).. शब्दों में ....

दिनांकः

हस्ताक्षर निविदादाता.....................................

नामः–

पताः–

मोबाइल न0ः–

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)–246174
Srinagar Garhwal Uttarakhand
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University)

Prof. Deepak Kumar
Chief Hostel Warden

Mob- 8650050639
Email: chiefwarden300@gmail.com

वित्तीय निविदा/कोटेशन प्रपत्र

सेवा में,

मुख्य छात्रावास अधीक्षक
हे0न0ब0गढ़वाल विश्वविद्यालय,
श्रीनगर गढ़वाल।

मैं मैसर्स .... पता .... छात्रावास मैस .... हेतु प्रतिदिन भोजन की दर निम्न प्रकार से देने की अपनी सहमति देता हूँ।

क0सं0	छात्रावास का नाम	विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भोजन की दर प्रतिदिन		मैस संचालक द्वारा प्रस्तावित भोजन की दर प्रतिदिन	
		महिला	पुरूष	महिला	पुरूष
		Rs. 95/—	Rs. 110/—		

भवदीय

मैसर्स ....

पताः...

....

मोबाईल नं0....................................